खण्ड-10, अंक-1, वर्ष-2022, मु0प्र0 167-171
D.O.I.: https://doi.org/10.22445/avsp.v10i1.28
SJIF (2021) : 7.247

वैज्ञानिक आलेख

# Indian Federalism and COVID-19: A Review

Shivangi Kashyap and Luxmi
Research Scholar, Department of Political Science, B.H.U. Varanasi- 221 005, Uttar Pradesh, India
shivi21kashyap@gmail.com

**Received: 23-06-2022, Accepted: 07-10-2022**

**Abstract**- The recent global pandemic of COVID-19 besides health crisis has also led to tremendous administrative disbalances and challenges. One of the many effects of COVID-19 pandemic disaster is also visible on legislative, executive and financial federalism in India. The initial stages of the pandemic response highlighted the unitary tilt in the Indian federal structure, but at the later stages of this crisis, cooperative federalism also appears to be visible. The pandemic has also brought to the fore the importance of India's grassroots level of government, though, unfortunately, their potential remains underutilized. The pandemic put both the unitary strengths and the federal assets of India's political structure to serious test, buffeting the nation from one extreme to the other. But the country's federalism emerged strong out of the tribulations through a series of trials and errors, getting back much of its vigor that had been sought to be diluted. This paper is an attempt to analyze the impact of COVID-19 on Indian federalism and to investigate the challenges occurred due to federalism. Also, an attempt has been made to highlight the administrative perspectives to ensure harmony and balance between center and state to ensure co-operative federalism.

**Key words**- Covid-19, co-operative federalism, Centre-state relations, vaccination, lockdown

# भारतीय संघवाद एवं कोविड–19 : एक समीक्षा

शिवांगी कश्यप एवं लक्ष्मी
राजनीति शास्त्र विभाग, बी0एच0यू0 वाराणसी–221 005, उ0प्र0, भारत
shivi21kashyap@gmail.com

**सार**– कोविड–19 की हालिया वैश्विक महामारी ने स्वास्थ्य संकट के अतिरिक्त, जबरदस्त प्रशासनिक असंतुलन और चुनौतियों को भी जन्म दिया है। कोविड–19 महामारी आपदा के कई प्रभावों में से एक भारत में विधायी, कार्यकारी और वित्तीय संघवाद पर भी दिखाई देता है। महामारी की प्रतिक्रिया के प्रारम्भिक चरणों ने भारतीय संघीय ढांचे में एकात्मक झुकाव को उजागर किया, परन्तु इस संकट के बाद के चरणों में सहकारी संघवाद भी दिखाई देता है। महामारी ने भारत के जमीनी स्तर पर सरकार के महत्व को भी सामने ला दिया है, यद्यपि, दुर्भाग्य से उनकी क्षमता का कम उपयोग किया जाता है। महामारी ने भारत के राजनीतिक ढांचे की एकात्मक ताकत और संघीय सम्पत्ति दोनों को गम्भीर परीक्षा में डाल दिया, जिसने देश को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँचा दिया। परन्तु देश का संघवाद परीक्षणों और त्रुटियों की एक श्रृंखला के माध्यम से क्लेशों से मजबूत होकर उभरा, जोकि कमजोर होने की मांग की गई अपनी ताकत को वापस ले रहा था। यह पत्र भारतीय संघवाद पर कोविड–19 के प्रभाव का विश्लेषण करने का एक प्रयास है। साथ ही इसके संघीर्ण ढांचे द्वारा पैदा की गई चुनौतियों को देखते हुए इसे किस तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ा है, इसकी पड़ताल करना भी है और केन्द्र और राज्य के बीच सद्भाव और संतुलन सुनिश्चित करने और सहकारी संघवाद को प्रभावी करने के लिये प्रशासनिक दृष्टिकोण को उजागर करने का प्रयास किया गया है।

**बीज शब्द**– कोविड–19, सहकारी संघवाद, केन्द्र–राज्य संबंध, टीकाकरण, लॉकडाउन

1. **परिचय**– हाल ही के वर्षों में हम सबने देखा कि पूरा विश्व एक ऐसी त्रासदी का सामना कर रहा था। जिसकी किसी ने कल्पना तक न की थी। यह एक ऐसा दौर था जिससे सिर्फ मानव मात्र ही नहीं वरन् पूरी मानव जाति कहीं न कहीं प्रभावित हुई। वह समय हमारे देश के लिये अति संवेदनशील था। जिसने देश की आर्थिक, सामाजिक एवं मानव पूंजी को काफी हद तक क्षतिग्रस्त करने के साथ ही देश की

राजनैतिक व्यवस्था पर भी प्रभाव डाला। जिसके अन्तर्गत प्रमुख रूप से केन्द्र एवं राज्यों के सम्बन्धों में काफी परिवर्तन देखे गए। भारतीय संविधान में केन्द्र एवं संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है जो कि केन्द्र एवं राज्यों के अपने स्वतन्त्र एवं स्वायत्त अधिकार क्षेत्र की वकालत करता है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या कोविड काल में भी भारतीय संघीय व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया गया या नहीं। भारतीय राजनीति पर कोविड–19 का गहरा प्रभाव पड़ा जिसके फलस्वरूप देश की राजनीति में बड़े स्तर पर उथल–पुथल देखी गई। सर्वप्रथम कोरोना की पहली लहर के दौरान केन्द्र सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और महामारी रोग अधिनियम 1897 में दी गई अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए महामारी को अच्छी तरह संभाला था। परन्तु बाद में हुई थोड़ी लापरवाही ने स्थिति को और अधिक गंभीर बना दिया जिसके परिणामस्वरूप केन्द्र और राज्यों के मध्य मतभेद उत्पन्न होने लगा। इसी संदर्भ में अगर बात की जाए शक्तियों के अधिकारों (7वीं अनुसूची) की तो उनमें भी राज्य सूची के विषय का अतिक्रमण हुआ। वहीं दूसरी तरफ राज्य भी केन्द्र सरकार पर राहत संसाधनों के आवंटन में पक्षपात पूर्ण आचरण का आरोप लगाते रहे। उल्लेखनीय है कि महामारी के दौरान देश में वित्त की कमी का सामना भी करना पड़ा जिसका मुख्य स्रोत राज्य थे क्योंकि राज्यों के राजस्व का स्रोत जिनके अन्तर्गत अधिकांश हिस्सा शराब की बिक्री, सम्पत्ति के लेन–देन के स्टाम्प शुल्क, पेट्रोलियम उत्पादों पर बिक्री कर से आता है। वो बहुत हद तक ठप हो गये थे। जिसके फलस्वरूप वित्तीय बोझ बढ़ना तो उचित था ऐसे में इस प्रश्न का जवाब ढूंढना आवश्यक हो जाता है कि जो देश का बुद्धिजीवी वर्ग है उसको अपने व्यक्तिगत स्वार्थ एवं अनअपेक्षित राजनीति को सर्वोपरि रखना चाहिए या "राष्ट्रहित एवं देश के विकास को"? जिसका एक मात्र उत्तर है राष्ट्रहित एवं देश का विकास।

2. **कोरोना महामारी के विरूद्ध भारत की प्रतिक्रिया– संवैधानिक और कानूनी साधन–** एक बार जब यह स्पष्ट हो गया कि कोरोना महामारी देश भर में गम्भीर संकट की स्थिति पैदा कर सकती है, केन्द्र एवं राज्य के सामने यह चुनौती पैदा हो गई थी कि वे प्रतिक्रियास्वरूप संविधान के किस हिस्से को लागू कर सकते थे। जबकि कुछ विशेषज्ञ संविधान के कुछ महत्वपूर्ण हिस्से के उपयोग को लेकर बहस कर रहे थे, इस बात को लेकर भी बहस हो रही थी कि किन अधिकारियों को महामारी के नियंत्रण के लिये महत्वपूर्ण फैसले लेने का अधिकार दिया जा सकता है। राज्यों ने अपनी ओर से महामारी रोग अधिनियम–1897 का सहारा लिया, जो उन्हें महामारी जैसी परिस्थितियों से निपटने की शक्तियाँ प्रदान करता है। कई राज्य सरकारों ने अपने अधिकार क्षेत्र में इस कानून के माध्यम से राज्य महामारी रोग कोविड–19, 2020 विनियम (स्टेट एपिडैमिक डिसीजेज कोविड–19 रेगुलेशन) लागू किया, जिसमें व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, कार्यालयों और अन्य सार्वजनिक स्थानों को बन्द करने और आवाजाही पर प्रतिबन्ध सम्मिलित है। केन्द्र द्वारा किसी दिशानिर्देश जारी करने से पहले, राज्यों ने उल्लंघनकर्ताओं को सजा देने के लिये आई0पी0सी0–1860 का सहारा लिया। हालांकि ये कानून अपर्याप्त साबित हुए चूंकि ये कानून उपनिवेशकाल के थे अथवा वर्तमान में महामारी जैसे परिस्थितियों के अनुरूप नहीं थे। कोविड–19 जैसी गम्भीर चुनौती से निपटने के लिये एक निर्देशित, आधुनिक और व्यापक कानून की आवश्यकता थी, जिसका अस्तित्व ही नहीं था। इसने केन्द्र और राज्य सरकारों को संवैधानिक और कानूनी कमियों की भरपाई के लिये अध्यादेशों और आई0पी0सी0 और अन्य प्रावधानों का सहारा लेने के लिये बाध्य किया।

केन्द्र सरकार ने वायरस के परीक्षण के मानदण्डों को बढ़ा करके और निजी प्रयोगशालाओं को उनके संचालन के लिये सूचीबद्ध करके अपने उपायों को कायम रखा है। बढ़ती सार्वजनिक चिन्ताओं को दूर करने के लिये अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप किये जा रहे हैं। संकट के प्रबन्धन के लिये केन्द्र सरकार द्वारा किये गये उपायों के साथ कुछ राज्य कोविड–19 से निपटने के नये तरीके अपना रहे हैं, और सच्चे "नवाचार की प्रयोगशाला" बन गए हैं। कई मामलों में, राज्य सरकारों द्वारा किए गए शमन उपाय, केन्द्र द्वारा किए गए उपायों से पहले किए गए थे। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, लॉकडाउन की शुरूआत सबसे पहले राज्यों द्वारा की गई थी। आर्थिक मोर्चे पर केरल 19 मार्च को 200 बिलियन (यू0एस0डी02.6 बिलियन) की आर्थिक सहायता पैकेज को आगे बढ़ाने वाला पहला अधिकार क्षेत्र बन गया है। केन्द्र सरकार ने एक सप्ताह बाद 22.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अपने स्वयं के वित्तीय सहायता पैकेज की घोषणा की। इस प्रोत्साहन में गरीबों के लिये मुफ्त खाद्यान्न और रसोई गैस, महिलाओं और गरीब वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान अवधि के लिये नकद राशि शामिल है। जिला प्रशासन भी कोविड–19 के प्रकोप और इसके प्रबंधन के संदर्भ में बहुत सक्रिय रहा है। भीलवाड़ा (राजस्थान) जिले और आगरा शहर (उत्तर प्रदेश) प्रशासन के प्रयास और पहल विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। महामारी ने अन्तरसहकारी सहयोग को बहुत प्रोत्साहन दिया है। अकेले पिछले महीने में, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के बीच 3 वीडियों कान्सफ्रेन्सेज हुईं। विस्तारित लॉकडाउन के लिये अपने समर्थन की पुष्टि करते हुए, राज्य केन्द्र सरकार से अतिरिक्त वित्तीय सहायता की भी तलाश कर रहे हैं। अपनी स्वयं की चुनौतीपूर्ण वित्तीय स्थितियों को कम करने के लिये राज्य भी केन्द्र से अतिरिक्त वित्तीय सहायता मांग रहे हैं क्योंकि उनका अपना राजस्व गिर गया है। मुख्यमंत्रियों द्वारा किये गये कुछ अनुरोधों में एक अनुरोध यह भी सम्मिलित है–कि मुख्यमंत्री राहत कोष (और न केवल राष्ट्रीय प्रधानमंत्री राहत कोष के लिये) के आधार पर राज्य को दान की कॉर्पोरेट सामाजिक व्यय के रूप में गिना जाना चाहिए, स्वास्थ्यकर्मियों के लिये परीक्षण किट और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की अधिक पहुँच, माल और सेवा कर व्यवस्था के तहत मुआवजे के भुगतान के सम्बन्ध में राज्यकोषीय घाटे के मानदण्डों में छूट, विभिन्न क्षेत्रों के लिये एक बड़ा आर्थिक पैकेज, और राज्यों के लिये राज्यकोषीय जीविका।

3. **कोविड–19 के दौर में सहकारी संघवाद पर संकट–** महामारी अधिनियम, 1897 केन्द्र और राज्य सरकारों को महामारी रोगों के

प्रसार को नियंत्रित करने की अनुमति देता है जबकि केन्द्र महामारी सम्बन्धी बीमारियों को नियंत्रित करने के लिये बंदरगाहो पर प्रवेश और निकास पर निवारक आपातकालीन उपाय कर सकता है। इसके अतिरिक्त राज्यों को महामारी की जांच के लिये प्रशासनिक और नियामक उपायों को अपनाने के लिये संवैधानिक रूप से सशक्त बनाया गया है।

4. **शक्तियों का केन्द्रीयकरण**— डीएम अधिनियम की धारा—62 में केन्द्र सरकार को असाधारण शक्तियां प्रदान की जाती है, जिसके द्वारा केन्द्रीय मंत्रालयों, वैधानिक निकायों, राज्य सरकारों आदि में कोई भी अधिकार भारत सरकार के गृह मंत्रालय से निर्देश लेने के लिये बाध्य होता है; महत्वपूर्ण कार्यों को दरकिनार कर घटिया राजनीति—केन्द्र और सम्बन्धित राज्यों के राजनीतिक दलों के बीच राजनीतिक दोष का खेल भी बढ़ गया है। केन्द्र से अलग राज्यों में शासन करने वाले राजनीतिक दल केन्द्र सरकार पर राहत संसाधनों के आवंटन में पक्षपात पूर्ण आचरण का आरोप लगाते रहे है; राज्य सूची पर अतिक्रमण— चूँकि केन्द्र सरकार के पास अधिक वित्तीय शक्तियां, इसलिये यह राज्यों में अधिक से अधिक कल्याणकारी योजनाएँ शुरू करने की अनुमति देता है। यह राज्यों की सूची में एक अप्रत्यक्ष अतिक्रमण है; वित्त की कमी; कोविड— 19 की वजह से लॉकडाउन के कारण, राज्यों के राजस्व के स्रोत ढह गए हैं; राज्यों के राजस्व का अधिकांश हिस्सा शराब की बिक्री, सम्पत्ति के लेन—देन से स्टाम्प शुल्क और पेट्रोलियम उत्पादों पर बिक्री कर से आता है; यद्यपि उनका खर्च जैसे कि ब्याज भुगतान, सामाजिक क्षेत्र की योजनाएँ और कर्मचारियों का वेतन अपरिवर्तित रहता है; इसके अतिरिक्त, राज्यों को अब परीक्षण, उपचार और संगरोध सहित अपने स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे और कोविड—19 उपायों पर अधिक खर्च करने के लिये कहा जाता है। राज्यों के जी0एस0टी0 संग्रह भी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं क्योंकि अभी भी केन्द्र सरकार द्वारा उन्हें बकाया नहीं दिया गया है। एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम के अनुसार, राज्य एक निश्चित सीमा से अधिक बाजार से उधार नहीं ले सकते; इसके अतिरिक्त, पी0एम0 केयर्स राहत कोष को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योगदान के दायरे में रखा गया है। यद्यपि, कोविड—19 के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष या राज्य राहत कोष में योगदान स्वीकार्य सी.एस.आर. व्यय के रूप में योग्य नहीं है; संघवाद पर संवैधानिक प्रावधानों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है; सरकारी तंत्र के कुशल कामकाज के लिए राज्यों और केन्द्र के बीच निरन्तर संघर्षो को कम किया जाना चाहिए; जिन संस्थानो को संघवाद की रक्षा के लिए बनाया गया है जैसे कि जीएसटी परिषद, नीति आयोग, वित्त आयोग, चुनाव आयोग आदि को संघवाद को नुकसान पहुँचाने वाले मुद्दों की देखभाल के लिए मजबूत और सशक्त होना चाहिए।

**संघवाद अब केन्द्र**— राज्य संबंध की फॉल्ट—लाइन ने रहते हुए टीम इंडिया नामक एक नई भागीदारी की परिभाषा बन चुका है। देश की विविधताओं और असमानताओं के संजाल के कारण भिन्न—भिन्न महत्वकाक्षाएं निर्मित होती हैं। उन्हें पहचानना उन्हें हल करना और सभी राज्यों को एक मंच पर ले आना चुनौती पूर्ण है। फिर भी केन्द्र सरकार ने महामारी के दौर में सभी राज्यों के साथ बराबर संवाद किया है जो सहकारी संघवाद की महत्ता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री द्वारा "सहकारी संघवाद" के सिद्धान्त को साकार करते हुए सर्वदलीय बैठक की गई ताकि सभी राजनैतिक दलों और प्रतिनिधियों की राय जानी जा सके और इस वैश्विक आपदा का सामना एक जुट होकर किया जा सके। यह वैश्विक संकट केन्द्र तथा राज्य सरकारों को एक दूसरे के करीब लाया है, ताकि सहयोग और समन्वय के माध्यम से अपेक्षित उद्देश्यों तथा सहकारी के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। किसी भी आपदा के समय में पहली प्रतिक्रिया राज्य देते हैं। इस प्रकार पर्याप्त धनराशि की आपूर्ति करना संकट से प्रभावी ढंग से निपटने की पूर्व आवश्यकता बन जाता है। इस दिशा में सरकारने कई राहत पैकेज का ऐलान किया जिससे राज्यों को कोरोना से लड़ने में सहूलियत मिली है।

5. **केन्द्र—राज्य सम्बन्धों में चुनौतियाँ और आगे की राह**— कोविड—19 ने कुछ पहलुओ में संघीय संबंधो को गंभीर रूप से तनावपूर्ण बना दिया है। वित्त के संदर्भ में, PM Cares QaM dks CSRके दायरे में लाया गया था, यद्यपि, राज्य—आधारित फंडो के लिए ऐसा नहीं किया गया था। नतीजतन, कंपनियां राज्यों की तुलना में केन्द्र को दान करने के लिए अधिक इच्छुक थी, जिससे कई राज्यों जिससे कई राज्यों के लिये वित्तीय संकट पैदा हो गया इसके अतिरिक्त, केन्द्र द्वारा राज्यों के जी0एस0टी0 बकाया का भुगतान नहीं करने से समस्या और बढ़ गई। प्रशासनिक सम्बन्धों के मामले में कई राज्यों ने महसूस किया कि चिकित्सा उपकरण और टीके वितरण के मामले में केन्द्र द्वारा भेदभाव किया गया। यद्यपि सच्चाई स्थापित नहीं की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, विधायी सम्बन्धों के सम्बन्ध में, कई मामलों में राज्यों से परामर्श नहीं किया गया था। जो कि विधियों में निर्धारित थे, वे केन्द्र के आदेशों का पालन करने के लिये बाध्य थे जिससे केन्द्र और राज्यों के बीच सम्बन्ध तनावपूर्ण हो गए। इन समस्याओं का समाधान हो सकता है— पहली, एक मुख्य समस्या क्षेत्रीय राज्यों में राजस्व और व्यय के बीच असंतुलन है। राज्य स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सार्वजनिक सेवाओं से सम्बन्धित कार्यक्रमों को लागू करते हैं, लेकिन इस सार्वजनिक सेवाओं के लिये अपना स्वयं का राजस्व एकत्र करने में असमर्थ हैं। एक उपाय यह होगा कि केन्द्र सरकार राज्यों को अधिक राजस्व आवंटित करें और राज्यों को अधिक राजस्व एकत्र करने की अनुमति भी दे। उदाहरण के लिये, राज्य सेवा कर जमा नहीं कर सकते। राज्यों के भीतर आन्तरिक रूप से अधिक राजस्व उत्पन्न होना चाहिए, और केन्द्र को राज्यों को अधिक धन हस्तान्तरित करना चाहिए लेकिन केन्द्र सरकार ऐसा नहीं करना चाहती। केन्द्र—राज्य सम्बन्धों को और अधिक उत्पाद विकसित करने का दूसरा उपाय लिंकेज संस्थानों का निर्माण करना है। ऐसे मंच है जहाँ राज्य स्थल और केन्द्र स्थल के अधिकारी एक दूसरे से बात कर सकते हैं और जानकारी साझा करके मिलकर काम कर सकते हैं। यद्यपि कुछ संस्थान जैसे— अन्त—राज्य परिषद और राष्ट्रीय विकास परिशद वर्तमान ही

में अधिक सक्रिय हो गए हैं, परन्तु उनके पास प्रवर्तन शक्ति की कमी है। लेकिन उनकी सिफारिशों का सम्मान किया जाना चाहिए। केन्द्र और राज्य के बीच टकराव तब होता है जब ये लिंकेज संस्थान अच्छी तरह से काम नहीं करते हैं। त्वरित प्रतिक्रिया की सुविधा के लिये क्षेत्र –विशिष्ट समितियों की स्थापना। केन्द्र को भी उपायों के माध्यम से राज्य के संस्थानों को बढ़ाने की आवश्यकता है। जी0एस0टी0 मुआवजे के कारण राज्य सरकारों को सभी बकाया राशि को जारी करना, एफ0आर0बी0एम0 सीमाओं में छूट, वित्त जुटाने में राज्यों की सहायता करना, बाजारों से (सम्प्रभु गैरेन्टी), कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से लाभ साझा करना। यह सुनिश्चित करने के लिये राज्यों से परामर्श करें कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला।

जिस प्रकार जलवायु परिवर्तन से पृथ्वी का संतुलन बिगड़ रहा है, इसे मद्देनजर रखते हुये, यह कहना गलत न होगा कि ऐसी चुनौतियाँ देश के समक्ष आती रहेंगी। ऐसे में इस बात की तरफ ध्यान आकृष्ट करना आवश्यक हो जाता है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था को एक संतुलित ढाँचे में ढाला जाये, जिससे ऐसी समस्याओ का सरलतापूर्वक निदान किया जा सके। सबसे पहले केन्द्र एवं राज्यों को सही मायने में सहकारी संघवाद को अपनाना होगा। जिसके लिये आवश्यक है कि केन्द्र सरकार राज्यों को बराबरी में देखे और स्वयं पर निर्भरता बढ़ाने के स्थान पर उनकी क्षमताओं को मजबूत करे। दूसरा, भारत में कोरोना संकट के समय केन्द्र एवं राज्यों के मध्य जो मतभेद उत्पन्न हुये चाहे वह टीकाकरण हो या फिर लॉकडाउन के फैसले को लेकर एकाधिकार उन सभी मुद्दों पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऐसी गतिविधियों से सिर्फ कुछ लोगों का ही नहीं अपितु पूरे देश की हानि होती है। तीसरा, संवैधानिक प्रावधान के तहत संघवाद की हिफाजत एवं राज्यों के साथ विश्वास बहाली के लिये आवश्यक है कि अन्तर्राज्जीय परिषद को सक्रिय किया जाये। साथ ही सहकारी संघवाद को मजबूत बनाने वाली सभी संस्थाओं जैसे– नीति आयोग (324), वित्त आयोग (230) इत्यादि को निष्पक्ष एवं सशक्त होना चाहिए।

6. **निष्कर्ष**– इस पत्र का मुख्य तर्क "केन्द्रीकरण" और "विकेन्द्रीकरण" दोनो के मंत्रों के समय पर आधारित है। 2020 में शायद अधिक विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया बढ़िया होती और 2021 में अधिक केन्द्र को टीकाकरण खरीद का नेतृत्व करना चाहिए। कुछ विशेषज्ञों का दावा है कि अगर प्रारम्भ में स्थानीय अधिकारों को दूसरे भारतीय क्षेत्रों में लॉकडाउन का पालन करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता, तो स्थिति बेहतर तरीके से संभाली जा सकती थी। यद्यपि कोविड–19 एक वैश्विक तबाही है और यहाँ तक कि G-7 महाशक्तियां भी इस घातक वायरस को कम करने में नाकाम रही हैं। अतः महामारी के प्रभाव को कम करने के लिये केन्द्र सरकार का हस्तक्षेप महत्वपूर्ण था और महत्वपूर्ण है। आगे का सबक यह है कि राज्यों को एक स्पष्ट कानूनी ढांचे के माध्यम से तेजी से कार्य करने के लिये महामारी की स्थिति में सशक्त होना चाहिए। महामारी प्रबन्धन योजना तैयार करते समय राज्य के प्रतिनिधियों को तकनीकी टीमों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। कोविड–19 ने भारत सरकार को अपने कार्यों, प्रदर्शन और प्राथमिकताओं को पुर्नमूल्यांकन करने के लिये मजबूर किया।

यद्यपि, महामारी के प्रथम चरण पर मिश्रित सफलता प्राप्त हुई, वहीं द्वितीय चरण के दौरान भारत का संघीय ढांचा लड़खड़ा गया। पहली लहर के दौरान कोरोना पर विजय प्राप्त कर लेने की भावना, दूसरी लहर के दौरान संक्रमण बढ़ाने में मिलीभगत और उसे लेकर गम्भीरता का भाव, संघीय नेतृत्व का लापता होना और केन्द्र और राज्यों के बीच सहयोग और विश्वास की भावना का लोप होना इस सभी कारणों से मिलकर महामारी के कुप्रबन्ध में अपना योगदान दिया, जिसके चलते देश की व्यवस्थाएं कुछ समय के लिये पूरी तरह से ध्वस्त हो गईं। कोरोना महामारी के दूसरे चरण के दौरान भारत के अनुभवों से सबसे बड़ा सबक यही मिलता है कि किसी गम्भीर राष्ट्रीय आपदा के दौरान राज्यों और केन्द्र के बीच स्वस्थ सहयोग की जरूरत होती है। संघीय सरकार को नेतृत्वकर्ता की अपनी भूमिका के लिये तैयार रहना चाहिए। आवश्यक है कि केन्द्र सरकार राज्यों को बराबरी में देखे और स्वयं पर निर्भरता बढ़ाने के स्थान पर उनकी क्षमता को मजबूत करे। भारत की विशालता, विविधता और व्यापकता को देखते हुये और आज के प्रतिस्पर्धी एवं राजनीतिक आर्थिक रूप से संवेदनशील माहौल में सभी राज्यों के लिये एक सी नीति या एक सा फैसला लागू नहीं किया जा सकता। अन्त में यह आशा कि जाती है कि केन्द्र राज्य सम्बन्ध समय के साथ मजबूत होते हैं और सहकारी संघवाद में वृद्धि होती है क्योंकि यह देश के शासन को निर्धारित करने के लिये एक महत्वपूर्ण कारक है। हो सकता है कि कोई फैसला किसी राज्य के लिये सही हो और किसी दूसरे राज्य के हितो से टकराता हो, तो संघवाद की भावना पर भी असर पड़ेगा इसलिये ऐसे संवेदनशील वातावरण के लिये हमें एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करना होगा जिससे आपसी सामंजस्य एवं मतैक्य के साथ सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिले और 11=11 की मानसिकता का विकास हो क्योंकि–

"विविधता देश की खूबसूरती है, तो अखण्डता देश की जरूरत।"

## References


1. R. Saxena, Federalism and Covid-19 Crisis, Centre State Opposite Relation in India, 11.2, Covid-19 First wave in India
2. The Hindu, 2020, State Gear Up for Unlock 4.0, 30 August

3. Pakvet M. and R. Schawazr (2020), Covid-19 Age and Complex Intergovernmental Problem, Canadian Journal
4. Rajya Sabha TV, World Panaroma, Covid-19 Global Crisis, Episode, 416
5. Ministry of Home Affairs (Disaster Management Division), 14 March
6. https://www.jagaran.com,Negative Impacts of Covid-19
7. www.dw.com,Centre State Relation during Covid-19
8. www.rbi.org.in,Some thoughts on Fiscal Federalism
9. Sahu, Niranjan and Ghosh, Amber Kumar (2021) Covid-19 for Indian Federalism, Challenges, 29 June 2021
10. Ghosh, Sanjay and Jateli, Rishabh (2020)Does the Constitution allow Modi to declare a National Emergency over Covid-19?, The Wire, 23 March 2020
11. Kevin,James (2020)Covid -19 and the need for clear centre state roles, Vidhi Centre for Legal Policy, April 3rd 2020.
12. See Pinto, Nolan (2020) Karnataka govt invokes sections of Epidemic Diseases Act in form of Covid-19 rules, 2020, India *Today*, March 11, 2020, https://www.indiatoday.in/india/story/karnataka-govt-invokes-sections-of-epidemic-diseases-act-in-form-of-covid-19-rules-2020-1654567-2020-03-11
13. Anand, Devanshu (2020) Is Indian Legal Frameworks capable of handling Corona Virus Pandemic?", *ipleaders*, April 13, 2020. https://blog.ipleaders.in/indian-legal-framework-capable-handling-coronavirus-pandemic/
14. Aiyar, Yamini and Krishnamurthy, Mekhala (2020)Covid -19: Centre and States must work whether, *Hindustan Times*, April 1, 2020.
15. Sahoo, Niranjan (2020)India and Australia's *Federal System have responded Fairly well to Covid -19, But the US System hasn't,Melbourne Asia Review*, July 2020.
16. Sahu, Niranjan and Ghosh, Amber Kumar (2021)The Covid -19 challenge to India Federalism, ORF Paper No- 3, 22 June 2021, Observer Research Foundation.
17. Shringare,Alaknanda and Fernandes, Seema (2021)"COVID-19 Pandemic in India Points to Need for a Decentralized Response" SAGE 5. https://journals.dagepub.com/doi/10.1177/0160323X20984524.
18. The New Indian Express. 2020. As per new circular, states depend on Centre to procure COVID – 19 medical equipment. 9 April. https://www.newindianexpress.com/nation/2020/apr/09/as-per-new-circular-states-sepend-on-centre-to-procure-covid-19-medical-equipment-2128010.html.
19. Singh, Mahendra Pal andV.N. Shukla's Constitution of India (13th ED. 2017)
20. Mamta Rao Constitutional Law (2nd ED.2021)